महात्मा गाँधी और सत्याग्रह

डा0 नीता,

एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय, लखनऊ।

महात्मा गाँधी का प्रवेश 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी घटना है। वह भारतीयों के जीवन में ज्याति किरण बनकर आये। गांधी जी ने बुराई के प्रतिरोध के लिए एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। भारतीय राजनीति में एक नई विचारधारा 'सत्याग्रह' के माध्यम से सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाकर आधुनिक विश्व को एक नया सन्देश दिया। गांधी जी के अनुसार ''सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किये जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है।'' वर्तमान विश्व गांधी जी के सत्याग्रह का महत्व समझने लगा हैं। आज इतिहास गांधीजी के अमूल्य सिद्धान्तों का ऋणी हैं। जो न्याय से अन्याय पर पूर्ण विजय के लिए सदियों तक विश्व की आम जनता का प्रेरणा स्रोत रहेगा।

सत्य का आग्रह हमारे देश में सदियों से होता आ रहा हैं। उनके अनुसार आत्मबल के साथ सत्यसम्मत बात का समर्थन करना और असत्य आचरण, असत्य कर्म या असत्य कानून का अहिंसक तरीकों से आत्मबल के साथ विरोध करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रही कभी पराजित नहीं हो सकता, विजय उसकी ही होती हैं।

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के माध्यम से जिस तरह के आन्दोलनात्मक प्रयोग भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आन्दोलन में किया उसके दो स्वरूप हैं, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह और दूसरा सामूहिक सत्याग्रह। सामूहिक सत्याग्रह का प्रयोग दो रूपों में दिखाई देता है। असहयोग और सविनय अवज्ञा। इन्हीं दोनों के अन्तर्गत सीधी कार्रवाई और रचनात्मक कार्यक्रम आते हैं, जिसमें उपवास, हड़ताल, बहिष्कार स्वदेशी, धरना, अन्यायपूर्ण कानून, हिज़रत तथा खादी का प्रचार, ग्रामोद्योगों की स्थापना, स्त्री–उद्धार, मद्यनिषेध, बुनियादी शिक्षा, राष्ट्रभाषा प्रचार तथा जनसेवा के कार्य आदि सभी साधनों का समावेश इस सत्याग्रह में किया गया है।

आधुनिक भारत के इतिहास में गाँधी का आविर्भाव एक ऐसी घटना है। जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान भी सम्भव नहीं है। गाँधी मानव इतिहास की एक अप्रतिम एवं महान विभूति थे। वह एक आदर्श कर्मयोगी थे। हमारा मुल्क आज जो स्वतंत्रता की साँसे ले रहा है। यह गाँधी के सर्वोपरिबल सत्याग्रह का ही परिणाम हैं। इन्होंने सत्याग्रह भी तकनीक का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, फिर उस पद्धति का प्रयोग भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन में किया। सत्याग्रह सत्य के उच्चतम आदर्श का दूसरा नाम है। सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है।

सत्याग्रह संस्कृत के दो शब्द 'सत्य' और आग्रह की योग से बना है। सत्याग्रह से तात्पर्य है किसी भी त्याग के मूल्य पर सत्य और न्याय पर आरूढ़ रहने की सत्य और संकल्प का बोध। सत्याग्रह में अपनी आत्मशक्ति से प्रेरित व्यक्ति सत्य का आग्रह करता है। गाँधी के अनुसार अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेते हुए सदैव सत्य पर दृढ़ रहना और वचन तथा कर्म से उसी के अनुसार आचरण करना ही सत्याग्रह है। गाँधी

जी ने 'अहिंसक प्रतिकार' की जगह 'सत्याग्रह' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अहिंसा के सिद्धान्त को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह कार्य पद्धति का प्रयोग किया। स्मरणीय हैं कि जिस समय गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका में वहाँ बसे भारतीयों के तीव्र रोष एवं असंतोष का नेतृत्व कर रहे थे उस समय उन्होंने अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने के लिये 'निष्क्रिय प्रतिरोध' किया था। बाद में गाँधी ने इसे 'सत्याग्रह' शब्द में परिवर्तित कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह गाँधी जी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है।

सत्याग्रह एक नैतिक विधा हैं तथा पूर्णतया पवित्र हैं। सत्याग्रह की अवधारणा सनातन मूल्यों पर आधारित है जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं अपरिवर्तनीय है। भगवान बुद्ध, ईसामसीह ने भी इसको व्यवहार में अंगीकृत किया। इसका उल्लेख टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरियो विचारकों के लेखों में मिलता है। सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति को कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिये तथा ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। सत्याग्रह पर चलने वाला व्यक्ति अपने प्रतिपक्षी को या अपने विरोधी को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। सत्याग्रह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि यह अधिकार ही नहीं परन्तु पवित्र कर्तव्य हैं। गाँधी जी के अनुसार सत्याग्रही वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी इच्छाशक्ति से तथा बुद्धिमानी से कानूनों का पालन किया हो।

सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से असत्य, दमन, अन्याय व शोषण का विरोध है। सत्याग्रही का यह परम कर्तव्य है कि वह विरोधी का हृदय परिवर्तन करें। सत्याग्रही को आत्मबलशाली, निःस्वार्थी एवं निष्पक्ष होना चाहिये। यह एक ऐसा संघर्ष हैं जिसमें बुजुर्ग और कमजोर व्यक्ति भी प्रभावी शक्ति के साथ शामिल हो सकते हैं, यदि उनके हृदय और उनकी आत्मा में संवेदना एवं शक्ति हैं। सत्याग्रही विरोधी का विरोध करते हुए भी उसके प्रति स्नेह और प्रेम की भावना रखता हैं। सत्याग्रही का एकमात्र आधार उसका नैतिक बल होता हैं जिसका प्रयोग वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। सत्याग्रही के लिए लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्ति के साधन दोनों महत्वपूर्ण होते है। गाँधी के अनुसार, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करना सत्याग्रह की अनिवार्य शर्त है।

गाँधी जी का मानना था ''सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है जिसके सब ओर धार है, उसे जैसा चाहो वैसे काम में लाया जा सकता है। उसे काम में लाने वाला और जिस पर वह काम में लाई जाती है, दोनों सुखी होते हैं। सत्याग्रह ईश्वर की उपासना है और सत्याग्रही ईश्वर का सेवक। सत्याग्रही शारीरिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, उसकी आत्मा में बल होता है। प्रेम और सहनशीलता ही उसकी शक्ति है। गाँधी के अनुसार मनुष्य की अच्छाई में सत्याग्रही का मूलरूप से विश्वास होना चाहिए। उसमें विवेक या आत्मा की आवाज को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उसे एक ऐसा विकल्प खोजने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, जो सभी को स्वीकार्य हो।

सत्याग्रही को अपने देश और समाज की निःस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। सत्याग्रह का प्रयोग केवल समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। सत्याग्रह का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं। वस्तुतः उसका उद्देश्य उसकी आत्मा को जागृत करना होता है, जिसके विरुद्ध उसका प्रयोग हो रहा है। जब सत्याग्रही मौन रहकर अपने प्रतिरोधी द्वारा किए गये प्रतिशोध का सामना करता है तो वह उसे पश्चाताप करने पर मजबूर कर देता है। वह अन्याय ओर हिंसा का मार्ग त्यागने पर मजबूर हो जाता है और उसका सहयोगी बनने के लिए भी

राजी हो जाता है। गाँधी ने सत्याग्रह को एक व्यक्तिगत मान्यता न मानकर एक सामाजिक कर्तव्य माना है, वे इसका उपयोग राजनीति तथा अर्थनीति के क्षेत्र में करने की सिफारिश करते हैं। सत्याग्रह का अस्त्र वे सुधारवादी दृष्टिकोण से करने की बात करते है, वे कहते है कि बुराई और भलाई का संघर्ष, एक ऐसा तथ्य हैं जिसको हम किसी भी स्थिति में, नकार नहीं सकते, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस संघर्ष को सुचारू रूप से चलाया जाय और तब तक चलाया जाये जब तक बुराई का पूरी तरह अन्त न हो जाये।

सत्याग्रह की स्थिति तभी आनी चाहिए, जब बातचीत का जरिया पूर्णरूप से असफल हो जाय और विरोधी अपनी गलती मानने से पूर्णतया इन्कार कर दे। सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत चरित्र–हनन के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, सत्याग्रह को हर परिस्थिति में एक नैतिक मूल्य बने रहना है।

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सत्याग्रह को न केवल व्यवहारिक प्रयोग में साकार किया, बल्कि उसे जनाभिमुख भी बनाया। गाँधी ने सत्याग्रह के माध्यम से जिस तरह के आन्दोलनात्मक प्रयोग भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में किये उसके कई स्वरूप थे।

सत्याग्रह

सत्याग्रह को दो रूपों में बाँट सकते हैं:–

1. **व्यक्तिगत सत्याग्रह** :–व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए हो सकता है। गाँधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया और विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया। सत्याग्रह का राजनीतिक स्वरूप व्यक्तिगत था, जिससे उसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया।

2. **सामूहिक सत्याग्रह** – व्यक्तिगत सत्याग्रह के विपरीत सामूहिक सत्याग्रह में सत्याग्रह आन्दोलन का उद्देश्य एवं स्वरूप दोनों सामूहिक होता है। सामूहिक सत्याग्रह का आयोजन समाज के लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर होता है। यह सत्याग्रह दो भागों में दिखाई देता है।

(A) **असहयोग–** यह सामूहिक सत्याग्रह का प्रथम स्वरूप हैं। इसका प्रयोग गाँधी जी ने चम्पारन सत्याग्रह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किया। असहयोग का अर्थ है। भ्रष्ट या अन्यायपूर्ण राजतंत्र से हर तरह के सहयोग को भंग कर देना। गाँधी सत्याग्रह को एक शक्तिशाली उपकरण मानते थे। इससे लोगों को अपनी सही अन्तः शक्ति की अनुभूति होगी। यह निष्क्रिय नहीं पूरी तरह सक्रिय एवं प्रभावी अवस्था है। गाँधी जी ने कहा कि मेरे लिए असहयोग की जो कल्पना हैं, उसके अनुसार उसे पूरी तरह अहिंसक किसी के प्रति बुरी नीयत या उसे दुःख पहुँचाने या किसी को क्षति पहुँचाने या किसी को क्षति पहुँचाने की भावना से परे होना चाहिए। हिंसा रहित

होने से असहयोग का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। असहयोग व्यक्ति के विरुद्ध नहीं व्यवस्था के विरुद्ध होता है। वह गवर्नर के विरुद्ध नहीं उस व्यवस्था के विरुद्ध हैं, जिसका वह प्रशासन करता है।

(B) **सविनय अवज्ञा**— यह सत्याग्रह का दूसरा प्रमुख स्वरूप हैं। गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा का आन्दोलन सन् 1930 में 6 अप्रैल को दाण्डी में समुद्री पानी से नमक बनाकर पहली बार आरम्भ किया। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। इसमें कानून का विरोध किया जाता है। सविनय अवज्ञा के लिए उन्होंने नमक बनाने पर प्रतिबंध के अत्यन्त साधारण कानून को चुनौती दी। एक साधारण कानून की अवज्ञा के इस सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में हलचल उत्पन्न कर दी और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े हिला दी। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि शान्तिपूर्ण और अहिसंक सविनय अवज्ञा सत्याग्रह द्वारा शासन को रोका जा सकता है। यह सशस्त्र विद्रोह से अधिक प्रभावी और खतरनाक होता है। यदि सविनय अवज्ञा सत्याग्रही हर तरह के असीम कष्ट एवं यातना सहन करने के लिए तैयार हो तो ऐसे संघर्ष को कभी पराजित नहीं किया जा सकता।

सीधी कार्रवाई के सत्याग्रह

1. **उपवास या अनशन**—उपवास को गाँधी जी ने व्यक्तिगत शुद्धिकरण का साधन माना हैं, इसके द्वारा सत्याग्रही में आत्मबल की वृद्धि होती हैं और विरोधी का ध्यान सत्याग्रही की ओर आकर्षित होता है। यह सत्याग्रह के संघर्ष का अत्यन्त समर्थ हथियार हैं। यह आग की लपट जैसा कार्य करता है। आमरण अनशन भी सत्याग्रह का एक रूप है और इसे सत्याग्रह का सबसे प्रभावी अस्त्र कहा जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। लाभ की कामना और स्वार्थ सिद्धि के लिए उपवास सत्याग्रह की संस्तुति गाँधी नहीं करते।

2. **हड़ताल**—यह सरकार के किसी कार्य के प्रति अपनी असहमति व्यक्ति करने का एक तरीका है। इसका प्रयोग करने में लक्ष्य भी पवित्रता और साधनों की पवित्रता जरूरी है। इसका हल्का और सस्ता प्रयोग नहीं होना चाहिए। गाँधी न्यायपूर्ण औचित्य के बिना हड़ताल के सख्त खिलाफ थे। वह मानते थे कि हड़ताल हमेशा शांतिपूर्ण और शक्ति प्रदर्शन से रहित होनी चाहिए।

3. **बहिष्कार एवं स्वदेशी**—गाँधी ने इसे सत्याग्रह का हिस्सा बताया और असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमों में इसे शामिल किया। सत्याग्रह के इस प्रबल अस्त्र के प्रयोग में विरोधी का, उसकी वस्तु या उसके उत्पादन का

अथवा उसकी संस्थाओं का बहिष्कार कर उसके ऊपर दबाव डाला जाता हैं। बहिष्कार की स्थिति तब उपस्थित होती हैं, जब किसी व्यक्ति या शासन को यह अहसास करवाना हो कि वे असामाजिक कार्य कर रहे हैं। आर्थिक बहिष्कार के अन्तर्गत उन वस्तुओं का बहिष्कार आता है जो विदेशियों के लाभ के लिए चलाई जाती हैं। इसी का दूसरा रूप स्वदेशी हैं। हम जब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग सम्भव नहीं होगा और हमारे अपने उद्योग–धंधे नष्ट हो जायेंगे।

गाँधी जी ने विदेशी वस्त्र, विदेशी शिक्षा आदि के साथ विदेशी सरकार द्वारा स्थापित धारा सभाओं के भी बहिष्कार को इसमें शामिल किया। स्वदेशी और बहिष्कार ने मिलकर एक ऐसा भावनात्मक राष्ट्रीय वातावरण तैयार किया, जिसमें बहिष्कार एवं स्वदेशी के मुद्दों के पक्ष में राष्ट्रव्यापी जनमत एक सशक्त आन्दोलन के साथ उभरकर सामने आया। लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगे और खादी से बने वस्त्र प्रचुर मात्रा में अपनाये जाने लगे। वन्देमातरम् की तरह ही खादी राष्ट्रीयता का महामंत्र बन गया।

4. **धरना प्रदर्शन**–धरना प्रदर्शन का अर्थ हैं रास्ता रोकने की प्रक्रिया। रास्ता रोकने का अर्थ जन–जीवन को अस्त–व्यस्त करना नहीं बल्कि शासन का ध्यान जनता की तरफ मोड़ना है। इसका उद्देश्य न्यायोचित उद्देश्य के लिए दबाव बनाना होता हैं। गाँधी इस अस्त्र के अत्यन्त सावधानीपूर्ण प्रयोग के पक्षधर थे। उसका लक्ष्य मात्र अधिकारी, सरकार या जनमत का ध्यान आकृष्ट करना होना चाहिए।

5. **हिज़रत–** हिज़रत का अर्थ है स्वेच्छा से स्थान परिवर्तन, हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा था तो गाँधी ने उनको स्थान परिवर्तन की राय दी जिससे उनको बेहतर वातावरण मिल सके। जहाँ दमन और अन्याय हो वह स्थान छोड़ देना चाहिए और दूसरे स्थान पर जाकर सम्मान से रहना चाहिए।

रचनात्मक कार्यक्रम

रचनात्मक कार्यक्रमों से नैतिक और आध्यात्मिक चेतना को बल मिलता था। इन कार्यक्रमों में हरिजन सेवा, हरिजन बस्ती में सफाई, शिक्षा आदि के रचनात्मक प्रबन्ध, हरिजन मंदिर प्रवेश, हरिजनों को यज्ञादि में शामिल करने, अस्पृश्यता मिटाने और हरिजनों को सम्मान एवं बराबरी का हक दिलाने के कार्यक्रम गाँधी जी ने अपनाये। आजादी के बाद उन्होंने स्वयं दिल्ली में हरिजन बस्ती में रहना शुरू किया। मद्यनिषेध के विरुद्ध गांधी जी ने सामाजिक अभियान का आह्वान किया जो उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का दूसरा बड़ा आयाम था। इसी प्रकार खादी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम भी इसका हिस्सा थे, जो राष्ट्रीयता और स्वदेशी भावना के संवाहक अस्त्र थे। उन्होंने ग्रामोत्थान, ग्रामोद्योग आदि के कार्यक्रम भी इसमें शामिल किये।

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह को एक व्यक्तिगत मान्यता न मानकर एक सामाजिक कर्तव्य माना है। वे इसका उपयोग राजनीति तथा अर्थनीति के क्षेत्र में करने की सिफारिश करते हैं।

सत्याग्रह का अस्त्र वे सुधारवादी दृष्टिकोण से करने की बात करते हैं, वे कहते है कि बुराई और भलाई का संघर्ष, एक ऐसा तथ्य है जिसको हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस संघर्ष को सुचारू रूप से चलाया जाय और तब तक चलाया जाये जब तक बुराई का पूरी तरह अन्त न हो जाये।

गाँधी का सत्याग्रह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाने वाला एक मौलिक माध्यम था जो मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करता था। उनका सत्याग्रह लोगों के बीच की अहसमति को दूर करके परस्पर विरोधी मनः स्थितियों को एकाकार करता हैं और लोगों में नैतिकता का भाव जगाकर उत्तम वातावरण बनाने में सहायता करता हैं। सत्याग्रह से न केवल वर्तमान विरोध खत्म होता है, बल्कि भविष्य में विरोध की सम्भावनाएँ भी कम हो जाती है।

आज भी भारत के संदर्भ में सत्याग्रह बहुत व्यावहारिक हैं। यदि हम भारत में एक कल्याणकारी समाज की परिकल्पना करते हैं तो ऐसा केवल संवैधानिक तथा अहिंसक साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता हैं। भारत के लिए यही उपयुक्त भी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गाँधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग औचित्यपूर्ण था। विश्व शान्ति को बनाये रखने के लिए सत्याग्रह एक महान आदर्श है।

सन्दर्भ

- जोशी, एम0सी0, गाँधी नेहर टैगोर तथा आम्बेदकर अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद।
- सिन्हा, मनोज, गाँधी अध्ययन, दूसरा संस्करण, ओरियण्ट ब्लैक स्वॉन, 2010, नई दिल्ली।
- गाँधी, एम0के0, हिन्द स्वराज, नवजीवन, अहमदाबाद, 1959
- Speaches and Writings of Mahatma Gandhi.
- Young India, मई 6, 1919,
- वही, फरवरी 19, 1920,
- वही, जून 2, 1920,
- वही, अगस्त 25, 1920,
- वही, फरवरी 9, 1921,
- वही, मार्च 23, 1921,
- वहीं, अगस्त 4, 1921,
- वही, जनवरी 5, 1922,
- वही, फरवरी 2, 1922,
- वही, फरवरी 6, 1922
- वही, दिसम्बर 17, 1925
- हरिजन, सितम्बर 29, 1938
- वही, फरवरी 11, 1939
- वही अक्टूबर 13, 1940
- वही, अगस्त 11, 1946

Copyright © 2014, Dr. Neeta. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.